5/11/24

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद पत्र CPC के नियम 09 R5 के तहत खारिज होने के कारण अब अंतरिम आरजी निस्तारण का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः उक्त आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर से कम हो।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.28 15:03:28 IST
Reason: SelfAttested